संख्या-04/2018/2634 ई-2/तेरह-2017-47/2003

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 10 जनवरी,2018

विषय:-मेसर्स धामपुर आसवनी, बिजनौर की अधिष्ठापित क्षमता 1155 लाख लीटर वार्षिक के स्थान पर 1225 लाख लीटर वार्षिक किये जाने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-69/दो-प्रा0डी0-33, दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र में की गई संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-315 ई-2/तेरह-2013-47/2003, दिनांक 05-03-2013 में वर्णित शर्तों के अधीन मेसर्स धामपुर आसवनी, बिजनौर को वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर स्थापित की जाने वाली आसवनी की प्लान्ट/मशीनरी की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता 1155 लाख लीटर से बढ़ाकर 1225 लाख लीटर निर्धारित किये जाने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार आगामी आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in